



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072022-237236
CG-DL-E-11072022-237236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3019]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ 20, 1944

No. 3019]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

का.आ. 3177(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देते हैं कि संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक, उक्त संघ राज्यक्षेत्र के भीतर, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन, उक्त अधिनियम की धारा 82 और धारा 83 के सिवाय, राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. 12011/10/2022-एल]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2022

S.O. 3177(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the Union territory of Ladakh shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), except section 82 and section 83 of the said Act, within the said Union territory.

[F. No. 12011/10/2022-L]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.